बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सारण जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय इसुआपुर में 18 बिगहा सरकारी जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण नहीं कराया जा सका है। प्रखंड मुख्यालय से 200 मीटर तथा थाना परिसर से 100 मीटर की दूरी पर कौशल विकास केन्द्र के भवन का निर्माण कराया गया है। उक्त जमीन उसके बगल में है। जनता की समस्याओं एवं मांग के आलोक में अंचलाधिकारी, इसुआपुर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु उपयुक्त मानते हुए वर्ष 2007 में ही जिलाधिकारी, सारण को अनुरोध पत्र भेजा है जिसपर अमल नहीं किया जा सका है। प्रखंड मुख्यालय में प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा नहीं रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी उठाते हुए जिला मुख्यालय के अस्पतालों में जाना पड़ता है।

अत: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इसुआपुर के भवन निर्माण जैसे विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सच्चिदानन्द राय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 92/2017 - 492 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मंत्रिपरिषद् की दिनांक- 24.06.2014 की बैठक में भवन निर्माण विभाग के विद्युत संवर्ग के समायोजन का निर्णय लिया गया था। विभाग ने मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत बल के अतिरिक्त आठ सहायक विद्युत अभियंता एवं दो कनीय विद्युत अभियंता की सेवा समायोजित कर लिया। सहायक विद्युत अभियंता के कार्यरत बल के बदले 13 एवं कनीय विद्युत अभियंता के कार्यरत बल के बदले 121 का समायोजन का आदेश ऊर्जा विभाग के पत्रांक- 2899 दिनांक- 03.06.2014 द्वारा निर्गत किया गया है।

अत: अतिरिक्त समायोजित सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंता की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस करने तथा इसके लिए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदारनाथ पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 82/2017 - 401 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 07.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ ऊर्जा विभाग, बिहार/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखंड के नवडीहा पंचायत के नवडीहा ग्राम की आबादी लगभग 1000 से ज्यादा है। यह ग्राम सरकार की विकास योजनाओं से कोसों दूर है। इस ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु न तो सड़क का निर्माण किया गया है और न ही शिक्षा हेतु स्कूल खुलवाया गया है। विद्युत एवं चिकित्सा की सुविधा बिल्कुल ही नगण्य है। इस गांव के लोग गरीबी और अशिक्षा में जीने को मजबूर हैं। इससे आम लोगों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अत: नौबतपुर प्रखंड के नवडीहा ग्राम में सड़क, बिजली, विद्यालय एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रितलाल राय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 93/2017 - 496 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ ऊर्जा विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

20/3/17

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

औरंगाबाद जिला के ओबरा प्रखण्ड के कारा बाजार में जल निकासी नहीं होने के कारण बाजार में नारकीय स्थिति बनी हुई है। समस्या इतनी दयनीय है कि सड़क पर चलना मुश्किल है, जो वर्षों से है। देवी मंदिर से कारा पुल तक नाले के निर्माण के लिए स्थानीय प्रतिनिधि प्रयास करते-करते थक गए हैं।

अत: इस समस्या के निदान के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजन कुमार सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 94/2017 - 495 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति के अन्तर्गत वर्ष 2012 से आज तक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सरकारी अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के परिवार के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

अत: मैं वर्ष 2012 से आज तक अनुमानित अनुदान राशि का भुगतान शीघ्र करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- देवेश चन्द्र ठाकुर,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 95/2017 - 494 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सीतामढ़ी जिला में बिहार राज्य खाद्य निगम के परिवहन कार्य में लगे मजदूरों को कई माह से भुगतान नहीं होने के कारण भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। विदित हो कि कतिपय स्थानीय अधिकारी एवं मुख्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से परिवन सह हथालन अभिकर्त्ता को करीब डेढ़ करोड़ की राशि विमुक्त कर दी गई है परन्तु गरीब मजदूरों के पारिश्रमिक को सुनिश्चित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि आवंटन के पूर्व जिला कार्यालय से मांग भेजा जाना नियमानुसार आवश्यक है परन्तु विभाग के अधिकारियों ने संवेदक के दबाव में आकर बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि. के पत्रांक- 1685, दिनांक- 18.02.2017 द्वारा श्री पंकज कुमार, परिवहन सह हथालन अभिकर्त्ता को नियम से परे जाकर कार्य राशि निर्गत कर दिया गया है।

अत: बिहार राज्य खाद्य निगम के परिवहन कार्य में लगे सीतामढ़ी एवं अन्य जिला के मजदूरों का पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित करने एवं विभागीय पदाधिकारियों की संलिप्तता से की गई अनियमितता की उच्चस्तरीय जांच कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप राय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 96/2017 - 493 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

गया जिला में विद्युत सप्लाई एवं रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मा इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है, परन्तु कार्य निष्पादन इंडिया पावर कॉर्पोरेशन (बोधगया) लिमिटेड कर रही है, जिसकी पूंजी मात्र 10 लाख है। उक्त कंपनी के बैलेंस शीट के अनुसार वर्ष 2014-15 में विभाग से 1.42 रुपए प्रति यूनिट की औसत दर से बिजली खरीददारी की है, और उसने उपभोक्ताओं से 5.85 रुपये प्रति यूनिट वसूला है। उक्त कंपनी ने वर्ष 2014-15 में 10 लाख की पूंजी से दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सहयोग से शुद्ध 82.97 लाख तथा वर्ष 2015-16 में 1 करोड़ 41.61 लाख शुद्ध लाभ अर्जित किया है तथा एस.बी.पी.डी.सी.एल. का इस कंपनी पर बकाया वर्ष 2014-15 में 31.2 करोड तथा 2015-16 में बढ़कर 71.45 करोड़ हो गया। उक्त कंपनी को 33 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने थे। परन्तु इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मात्र 5 करोड 87 लाख रुपये का खर्च टूल्स और मीटर की खरीददारी पर दिखाया गया, जो उनकी खुद की संपत्ति है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उक्त कंपनी ने सिर्फ अनियमितता बरतने का काम किया है।

अत: इंडिया पावर कॉर्पोरेशन (बोधगया) लिमिटेड को गया जिला में विद्युत सप्लाई एवं रेवेन्यू कलेक्शन से मुक्त कराये जाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- कृष्ण कुमार सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 97/2017 - 491 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ऊर्जा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, के राज्यादेश संख्या- 6/पं.रा.वि. आयोग-01/2016/13/पं.रा. पटना, दिनांक- 23.12.2016 के द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल 1081.16 करोड़ मात्र की राशि प्रथम किस्त के रूप में राज्य में कार्यरत 38 जिला परिषद्, 534 पंचायत समिति एवं 8391 ग्राम पंचायत के बीच सहायक अनुदान के रूप में वितरित करने की स्वीकृति दी गई है।

उक्त राज्यादेश की कंडिका-6 के (क) एवं (ख) में उल्लेख किया गया है कि राज्य के 7 निश्चयों में पंचायती राज विभाग द्वारा दो निश्चयों यथा (1) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (2) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इसी के कंडिका 6 के (ड) (।।) के क्रमांक-3 में जिला परिषद् को पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति, गली-नाली, स्वच्छता (सेनीटेशन) के कार्य हेतु प्रतिनिधियान (Devolution) मद में 147.71 करोड रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है एवं तत्संबंधी विभागीय आवंटनादेश पत्रांक-40(आ.) पं.रा. दिनांक- 14.02.2017 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप जिला परिषद् मुजफ्फरपुर की दिनांक- 23.01.2017 को सम्पन्न बैठक में जिला परिषद् द्वारा पाईप पेयजल आपूर्ति, गली-नाली, स्वाच्छता (सेनीटेशन) का कार्य लेने से संबंधित जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के कार्य योजना को पारित करने के साथ-साथ जिला अभियंता को कार्यान्वयन एजेन्सी बनाने का सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। परन्तु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् मुजफ्फरपुर इस राशि को व्यय नहीं कर पी.एल. खाता में रख कर अपने पत्रांक- 7/मु. दिनांक- 02.03.2017 द्वारा पंचायती राज विभाग से व्यय संबंधी स्पष्ट मार्गदर्शन की मांग की गयी है। अब विभाग से स्पष्ट मार्गदर्शन के बाद व्यय किया जा सकेगा, जिससे मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। विभाग द्वारा व्यय हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ राशि का आवंटन नहीं किए जाने के कारण पूरे प्रदेश में कार्य ठप है।

अत: मैं सरकार से उपर्युक्त वर्णित विषय पर सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिनेश प्रसाद सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 98/2017 - 490 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 21.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।